बिहार सरकार
सहकारिता विभाग

पत्रांक........................./पटना, दिनांक...
07/सह0 (विविध)–17/2024

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

विषयः **वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य योजना मद अन्तर्गत राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर (NSI) के माध्यम से रैयाम Sugar Complex के स्थापना हेतु राष्ट्रीय सहकारी शक्कर कारखाना संघ लि०, नई दिल्ली (NFCSF) द्वारा तैयार किये गये विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) के Technical Vetting हेतु निर्धारित शुल्क की राशि रू० 1,10,000.00 + 19,800.00 (GST @ 18%) =1,29,800.00 (एक लाख उनतीस हजार आठ सौ) रूपये मात्र के अग्रिम भुगतान हेतु अग्रिम राशि की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेशः– **स्वीकृत**

वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य योजना मद अन्तर्गत राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर (NSI) के माध्यम से रैयाम Sugar Complex के स्थापना हेतु राष्ट्रीय सहकारी शक्कर कारखाना संघ लि०, नई दिल्ली (NFCSF) द्वारा तैयार किये गये विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) के Technical Vetting हेतु निर्धारित शुल्क की राशि रू० 1,10,000.00 + 19,800.00 (GST @ 18%) =1,29,800.00 (एक लाख उनतीस हजार आठ सौ) रूपये मात्र के अग्रिम भुगतान हेतु अग्रिम राशि की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति संसूचित की जाती है।

2. उक्त राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2026–27 में मांग संख्या–09, राज्य योजना मुख्य शीर्ष–2425–सहकारिता, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–108–अन्य सहकारी समितियों की सहायता, उपशीर्ष–0129–चीनी मिल आधारित सहयोग समितियों को प्रोत्साहन, विपत्र कोड–09–2425001080129 विस्तृत शीर्ष–28–व्यवसायिक सेवायें, विषय शीर्ष–04 व्यवसायिक/कला/तकनीकी सेवायें के अन्तर्गत विकलनीय होगी।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यालय, निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के लिए प्राधिकृत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होगें, जो राशि की निकासी CFMS के माध्यम से आहरित करेंगे। आहरित की गई राशि को MS RCS के Account Id- 110235002100001, IFSC Code-YESB0BSCB01 (Customer Id-100000053) में प्राप्त कर Demand Draft के माध्यम से Director, National Sugar Institute, Kanpur के पक्ष में जमा करेंगे। इसके लिए महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

4. इस राशि का उपयोग उसी कार्य के लिए किया जायेगा, जिस कार्य के लिए स्वीकृति दी गई है। किसी अन्य मद में राशि का उपयोग कदापि नहीं किया जायेगा। इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वित्त, बिहार, पटना के पत्रांक–2561 दिनांक 17.04.1998 एवं संकल्प संख्या–7245 दिनांक 26.09.2018 के पत्र का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। साथ ही राशि की निकासी एवं व्यय करने में बिहार कोषागार संहिता तथा बिहार वित्तीय नियमावली के सुसंगत प्रावधानों तथा वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों/अद्यतन अनुदेशों का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा। भुगतान के स्त्रोत पर अनुमान्य कटौती किया जायेगा।

6. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहाकार की सहमति संचिका संख्या–07/सह0 (विविध)–17/2024 के पृष्ठ संख्या–51/टि0 पर दिनांक–05.06.2026 को दी गई है।

7. इस राशि की स्वीकृति सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना द्वारा संचिका संख्या–07/सह0 (विविध)–17/2024 के पृष्ठ संख्या–51/टि0 पर दिनांक–08.06.2026 को दी गई है।

8. अग्रिम राशि के निकासी के प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, सहकारिता विभाग, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–
(अभय कुमार सिंह)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक 171 / पटना, दिनांक 15/06/26
07/सह0 (विविध)–17/2024

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, नया सचिवालय बिहार, पटना को मुहरबन्द लिफाफे में।
2. वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं बजट शाखा, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/सचिव के निजी सहायक, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/अपर निबंधक (न्यायिक), सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/उप सचिव, प्रभारी प्रशाखा–03 (बजट शाखा)/आई0 टी0 मैनेजर/प्रोग्रामर, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना।

15/06/26

15.06.26
सरकार के अपर सचिव।